Diseases of Coconut Trees

1000. SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that coconut trees are affected by tropical diseases in Kerala;

(b) whether the State Government has any scheme or proposal to fight this menace; and

(c) if so, Central Government's attitude to this proposal?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Government of India are aware of the fact that coconut trees in Kerala are affected by a disease called "root-wilt" which is a slow and debilitating disease.

(b) and (c). Yes Sir. Based on the proposal, submitted by the State Government, the Government of India have sanctioned a Centrally Sponsored Scheme for rejuvenation of disease and unproductive coconut plantations in Kerala and the outlay approved is as detailed below:—

	Rs.
1977-78	7 066 lakhs
1978-79	32 343 lakhs
TOTAL :	39 409 lakhs

Procurement of Rain Affected Wheat

1001. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether any orders have been issued by his Ministry relaxing specifications for procurement of rain affected wheat for the marketing season 1977-78;

(b) if so, whether this will affect storage of these procured grains; and

(c) whether precautionary steps have been taken in storage of such rain affected grains?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). The Government of India have relaxed the specifications so as to provide for the procurement of rain affected wheat. The storability of such foodgrains is comparatively less and all necessary precautions are being taken for proper storage of these stocks.

राष्ट्रीय बीज निगम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों की प्रतिशतता

1002. **श्री महो लाल**

श्री शिव सम्पत :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम में, श्रेणीवार तथा पदनामवार कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के, श्रेणीवार तथा पदनामवार तथा उनकी प्रतिशतता क्या है :

(ग) क्या वहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और आरक्षित कोटा पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ; और

(घ) पदोन्नतियों में आरक्षण के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से व्यक्तिगत मामलों में सरकार ने

क्या कार्यवाही की है अथवा की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख). सभा पटल पर रखे गए अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या** एल टी 404/77]

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की निर्धारित मात्रा क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.12 प्रतिशत है। संलग्न विवरण से स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मामले में कुछ कमी है।

राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1 जुलाई, 1973 को हुई थी। इससे पूर्व बीज संगठन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वाधान में कार्य कर रहा था। इसकी स्थापना होने पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा भर्ती किया गया कर्मचारी वर्ग स्थानांतरित होकर इस निगम में आ गया। इसी प्रकार भारत सरकार का कुछ अधिशेष कर्मचारी वर्ग भी स्थानांतरित होकर इस निगम में आ गया। प्रारंभिक चरणों में विभिन्न संवर्गों के पद अलग अलग सरकारी कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरे गए और यथा समय इन कर्मचारियों ने राष्ट्रीय बीज निगम में विलयन की इच्छा प्रकट की। इन कारणों के अलावा, जिनके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में कमी हुई है, यह भी महसूस किया गया है कि राष्ट्रीय बीज निगम एक तकनीकी संगठन होने के कारण उसे विभिन्न स्तरों पर अपने पद खुले विज्ञापनों द्वारा भरने पड़े हैं क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अपेक्षित योग्यताएं और अनुभव वाले प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में आगे नहीं आ पा रहे थे। कुछ मामलों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को निर्धारित योग्यताओं, आयु सीमा इत्यादि में छूट देकर भी नियुक्त किया गया है। अन्त में, चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अन्य स्थानों पर बेहतर नौकरियां अधिक सरलतापूर्वक मिल जाती है, ऐसे कर्मचारियों ने निगम को छोड़ दिया हैं और परिणामस्वरूप रिक्त हुए थान साधारणतः प्रोन्नति करके भरे गए हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकतर पदों को तत्सम्बन्धी भर्ती के नियमों के अनुसार, प्रोन्नति करके भरा जाना है। इनके लिए कोई आरक्षित कोटा नहीं है। प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के केवल कनिष्ठ पदों पर प्रोन्नति कोटा विद्यमान है। तथापि आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने पर आरक्षित कोटा के ये पद आरक्षित माने जाएंगे।

(घ) जब भी ऐसे विभिष्ट मामले सरकार की जानकारी में आते हैं तो उन पर जांच गुण दोष के आधार पर तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

चीनी के विकप मूल्य में एक रूपता

1003. **डा० लक्ष्मी नारायण नायक**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में चीनी के दो मूल्य है, अर्थात् एक कंट्रोल का और दूसरा खुले बाजार का;